भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 247
22 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

मत्स्यपालन श्रमिक

247. श्री बापी हलदर:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पश्चिम बंगाल के मथुरापुर लोक सभा क्षेत्र और सुंदरबन में लघु-स्तरीय मत्स्यपालन श्रमिकों के लिए रियायती ऋण, बीमा और सूक्ष्म वित्त तक पहुँच के बारे में कोई ब्यौरा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) की ऋण योजनाओं के अंतर्गत कितने मछुआरों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या पारंपरिक तटीय मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) या किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी बैंक से जुड़ी योजनाओं से बाहर रखा जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का इन कमजोर समुदायों को लक्षित वित्तीय समावेशन उपायों के अंतर्गत शामिल करने का विचार है; और

(ङ) सुंदरबन जैसे आपदा-प्रवण क्षेत्रों में काम करने वाले मछुआरों के लिए बीमा कवरेज की स्थिति क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) संसदीय क्षेत्र या उप-क्षेत्रीय स्तर पर सब्सिडी वाले ऋण, बीमा और सूक्ष्म वित्त तक पहुँच के बारे में सरकार विशिष्ट आँकड़े नहीं रखती है जिसमें पश्चिम बंगाल के मथुरापुर और सुंदरबन शामिल हैं । हालाँकि, इन क्षेत्रों के मछुआरे भारत सरकार की प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF), और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थी हैं।

(ख) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) प्रत्यक्ष ऋण योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं करता है। हालाँकि, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) के अंतर्गत ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी तंत्र के अंतर्गत उपलब्ध ऋण-संबंधी सहायताओं को NFDB सुगम बनाता है । अन्य बातों के अलावा, डीप सी फिशिंग वेसेल्स, हैचरी, बायोफ्लोक यूनिट्स और कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिसे राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के सहयोग से राज्य सरकारों और नोडल ऋण संस्थाओं (NLE) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। बोर्ड इन सुगम तंत्रों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत लाभार्थियों का वर्ष-वार पृथक डेटा नहीं रखता है।

(ग) से (घ): पारंपरिक तटीय मछुआरों को PMMSY या KCC जैसी योजनाओं से बाहर नहीं रखा गया है। वास्तव में, ये योजनाएँ विशेष रूप से लक्षित वित्तीय समावेशन उपायों के माध्यम से लघु और पारंपरिक मछुआरों—जिनमें उपेक्षित समुदाय भी शामिल हैं—को सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इनमें संस्थागत ऋण, बीमा, आजीविका सहायता और क्षमता निर्माण पहलों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुँच के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सहायता और वैल्यू चैन विकास शामिल हैं। समान रूप से समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ड़) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) के माध्यम से कार्यान्वित समूह दुर्घटना बीमा योजना [ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम (GAIS)] पंजीकृत मछुआरों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिसमें सुंदरबन जैसे आपदा-प्रवण क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल ने कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष (26 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2023) के दौरान इस योजना में भाग लिया, जिसके दौरान 8,499 मछुआरों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया।

*****